झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकदश (बजट)सत्र
वर्ग–04

निम्नांकित तारांकित प्रश्न,गुरूवार, दिनांक– 25 फाल्गुन,1944(श0) ----------को 16,मार्च, 2023(ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
401-	ज–30	श्री नलिन सोरेन	नहर का पक्कीकरण।	जल संसाधन	27-02-23
402-	ज–35	श्री अनन्त कुमार ओझा	सिंचाई उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	01-03-23
403-	मस–06	श्री अमित कुमार यादव	लम्बित भुगतान कराना।	महि.बाल वि.एवं समा.सुरक्षा	01-03-23
*404-	कृष–28	श्री रामदास सोरेन	मुलभूत सुविधा देना	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	27-02-23
405-	कृष–26	श्री मथुरा प्रसाद महतो	कार्य पूर्ण कराना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	27-02-23
406-	ज–29	श्री नलिन सोरेन	उपलग्ध कराना।	जल संसाधन	27-02-23
407-	क–15	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	निर्माण कराना।	अनु.जा.अनु.ज. जा.अ.एवं पि.व. कल्याण	04-03-23
408-	कृष–31	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	तालाब निर्माण कराना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	27-03-23
409-	कृष–34	श्री अमित कुमार यादव	भुगतान अविलम्ब कराना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	01-03-23
410-	क–09	श्री राजेश कच्छप	कार्रवाई करना।	अनु.जा.अनु.ज. जा.अ.एवं पि.व. कल्याण	27-02-23
411-	ज–38	श्री किशुन कुमार दास	आहर का गहरीकरण।	जल संसाधन	02-03-23
412-	ज–26	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	सिँचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	01-03-23

* उद्योग विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
413-	क–10	श्री आलोक कुमार चौरसिया	आवासीय विद्यालय खोलना।	अनु.जा.अनु.ज. जा.अ.एवं पि.व. कल्याण	27-02-23
414-	ज–27	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स्वीकृति देना।	जल संसाधन	01-03-23
415-	ज–44	श्री अमित कुमार मंडल	योजनाओं की स्वीकृति देना।	जल संसाधन	09-03-23
416-	ज–43	श्री सुदेश कुमार महतो	योजना को प्रारम्भ करना।	जल संसाधन	09-03-23
417-	क–17	श्री सरयू राय	अवसर प्रदान करना।	अनु.जा.अनु.ज. जा.अ.एवं पि.व. कल्याण	09-03-23
418-	ज–25	श्री निरल पुरती	नहर का निर्माण।	जल संसाधन	01-03-23
419-	मस–05	सुश्री अम्बा प्रसाद	मॉनिटरिंग हेतु तंत्र बनाना।	महि.बाल वि.एवं समा.सुरक्षा	01-03-23
420-	कृष–03	श्री समीर कुमार मोहन्ती	अन्य पदों पर बहाली करना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	21-02-23
421-	कृष–30	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	कमियों को दूर करना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	27-02-23
422-	कृष–33	श्रीमती पुष्पा देवी	पशु चारा उपलब्ध कराना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	01-03-23
423-	कृष–08	श्री उमाशंकर अकेला	सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	23-02-23
424-	कृष–13	श्री मनीष जायसवाल	योजना का लाभ दिलाना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	25-02-23
425-	ज–07	श्री समीर कुमार मोहन्ती	लाभ दिलाना।	जल संसाधन	21-02-23
426-	कृष–25	श्री दीपक विरूवा	रिक्त पदों को भरना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	27-02-23
427-	कृष–22	डॉ0 लम्बोदर महतो	भुगतान कराना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	01-03-23
428-	कृष–10	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	समिति के माध्यम से।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	23-02-23
429-	ज–11	श्री अमित कुमार मंडल	कार्रवाई करना।	जल संसाधन	23-02-23
430-	कृष–27	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	27-02-23
# 431-	कृष–24	सुश्री अम्बा प्रसाद	नियम बनाना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	01-03-23
432-	क–08	श्री मथुरा प्रसाद महतो	घेराबन्दी करना।	अनु.जा.अनु.ज. जा.अ.एवं पि.व. कल्याण	27-02-23
433-	ज–19	श्री बिरंची नारायण	डेटम–बॉल बनाना।	जल संसाधन	25-02-23

राजस्व निबंधन एवं भूमिसुधार विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
△ 434-	ज-37	श्री मनीष जायसवाल	डैमों का गहरीकरण।	जल संसाधन	01-03-23
435-	ज-32	श्रीमती पुष्पा देवी	मरम्मति कराना।	जल संसाधन	01-03-23
436-	ज-15	श्री उमाशंकर अकेला	गेटों का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	23-02-23
437-	ज-23	श्रीमती सबिता महतो	नियोजन करना।	जल संसाधन	25-02-23
438-	ज-31	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	राशि का भुगतान।	जल संसाधन	27-02-23
439-	मस-07	श्री राजेश कच्छप	कदम उठाना।	महि.बाल वि.एवं समा.सुरक्षा	04-03-23
440-	मस-04	श्री राज सिन्हा	कार्रवाई करना।	महि.बाल वि.एवं समा.सुरक्षा	25-02-23
441-	कृष-35	श्री किशुन कुमार दास	सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	02-03-23
442	ज-45	डॉ0 सरफराज अहमद	पदस्थापित करना।	जल संसाधन	09-03-23
443-	ज-24	श्री निरल पूरती	बाँध का निर्माण।	जल संसाधन	01-03-23
444-	ज-28	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	जीर्णोद्धार करना।	जल संसाधन	27-02-23
445-	कृष-19	श्री सुदिव्य कुमार	ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना।	कृषि.पशु.एवं सहकारिता	25-02-23
□ 446-	ज-41	श्री सुखराम उराँव	मूलभूत सुविधा देना।	जल संसाधन	06-03-23
447-	ज-42	श्री रामचन्द्र सिंह	प्रोन्नति देना।	जल संसाधन	06-03-23
448-	क-16	श्री सुखराम उराँव	मरम्मति कराना।	अनु.जा.अनु.ज. जा.अ.एवं पि.व. कल्याण	06-03-23
449-	खा-09	श्री सुदिव्य कुमार	सुविधा प्रदान करना।	खा.सार्व.वितरण एवं उपभोक्ता मामले	25-02-23
450-	खा-02	श्री विनोद कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	खा.सार्व.वितरण एवं उपभोक्ता मामले	15-02-23

△ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में स्थानांतरित।
□ पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक-16 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ० पृ० उ---

ज्ञाप संख्या–(प्रश्न)–05/2020–1113/वि0स0,राँची,दिनांक– 13/03/23

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–(प्रश्न)–05/2020–1113/वि0स0,राँची,दिनांक– 13/03/23

प्रतिः– आप्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान सभा को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–(प्रश्न)–05/2020–1113/वि0स0,राँची,दिनांक– 13/03/23.

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं चेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

11.03.23

मंगल

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मयुराक्षी नदी बायां तट के मुख्य नहर से हरिपुर डिस्ट्रीब्यूट्री से कालाकाटा तक कच्चा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर का निर्माण कराया गया है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि कच्चा डिस्ट्रीब्यूट्री होने से पानी की बर्बादी होती है तथा फसलों का भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मयूराक्षी नदी बायां तट के मुख्य नहर से हरिपुर डिस्ट्रीब्यूट्री कालाकाटा अंतिम तक पानी बर्बादी रोकने के लिए डिस्ट्रीब्यूट्री नहर का पक्कीकरण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	हरिपुर वितरणी के जीर्णोद्धार एवं नहर पक्कीकरण कार्य का प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर शीघ्र इसके स्वीकृति पर विचार किया जायगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–30/2023 – 1477 /राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 670 वि०स० दिनांक 27.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

402

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज ग्रामीण प्रखण्ड अन्तर्गत बचोहिया नहर एवं राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत तेनुआ नहर के चौड़ीकरण, गहरीकरण एवं पक्कीकरण हेतु सर्वेक्षण पूर्ण कर प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर ली गई है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उधवा प्रखण्ड के शुक्रवासिनी नाला/कोदलकट्टी नाला एवं गज्जीनाला के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन संशोधनोपरांत प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड के सरला नहर, धपाई नहर, कंचनपुर दज्जो नहर तथा सुखसेना–चण्डीपुर–लालमाटी तक बढ़ेल झील तक कैनाल तथा उधवा प्रखण्ड के पतौड़ा झील से राधानगर के मध्य उदय नहर एवं पतौड़ा झील से पंचायत जोंका के मध्य स्थित "डोमजल्ला नहर" में गाद की समस्या के निदानार्थ सर्वेक्षणोपरांत प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार विभाग में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा चुकी है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) (2) एवं (3) में वर्णित नहरों के गहरीकरण, चौड़ीकरण व पक्कीकरण करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिलाते हुए स्थानीय कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सर्वेक्षण के क्रम में पाया गया है कि ये नहर नहीं है, प्राकृतिक नाला है। प्राकृतिक नालों का गहरीकरण, चौड़ीकरण व पक्कीकरण का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–36/2023 – 1478 **/राँची, दिनांक** 14/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 809 वि०स० दिनांक 01.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Note 5\vidhan Sabha\Feb-2023\J-35 Anante kumar ojha.docx

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–06 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर प्रखंड में क्रमशः (i) रघुनियाडीह मुस्लिम टोला (ii) पांडेयडीह (iii) चदरा पिपराडीह मुस्लिम टोला में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराने हेतु वित्त वर्ष 2013–14 में निविदा प्रकाशित कर संवेदक को कार्य आवंटित किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित स्थानों पर ससमय जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ और योजना समय में वृद्धि होती चली गई ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कुल तीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवन योजनाओं हेतु जमीन उपलब्ध कराई जानी थी। इनमें से दो भवन योजनाओं हेतु एकरारनामा उपरांत दिनांक–30.08.2013 के पूर्व ही जमीन उपलब्ध करा दी गई थी। रघुनियाडीह मुस्लिम टोला में आंगनबाड़ी भवन निर्माण की योजना हेतु जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त योजनाओं का समय वृद्धि स्वीकृत करते हुए लंबित भुगतान अविलंब कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कोडरमा जिले के जयनगर प्रखण्ड अन्तर्गत (1) रघुनियाडीह मुस्लिम टोला, (2) पांडेयडीह एवं (3) चदरा पिपराडी मुस्लिम टोला में एक ही एकरारनामा से आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य संवेदक के माध्यम से लघु सिंचाई प्रमण्डल, कोडरमा (कार्यकारी एजेन्सी) द्वारा कराया गया था। एतद् हेतु कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा दिनांक–22.05.2013 को कार्यादेश निर्गत किया गया तथा कार्य समाप्ति की तिथि एकरारनामा के अनुसार 04 माह निर्धारित की गई जो दिनांक– 21.09.2013 है। रघुनियाडीह मुस्लिम टोला में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। चदरा पिपराडीह मुस्लिम टोला एवं पांडेडीह का मापी पुस्तिका में 1st Bill क्रमशः दिनांक–05.08.2013 एवं दिनांक–30.08.2013 को अंकित किया गया अर्थात उक्त दोनों आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु उक्त तिथि के पूर्व संवेदक को भूमि उपलब्ध हो गया। भूमि उपलब्ध होने के 04 माह के अन्दर उक्त दोनों आंगनबाड़ी

		केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, किन्तु संवेदक के द्वारा दिनांक–15.06.2017 को निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जो निर्धारित अवधि से लगभग 3 वर्ष 6 माह अधिक है। संवेदक एवं कार्यकारी एजेंसी के द्वारा उक्त विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया। कार्यकारी एजेंसी एवं संवेदक के बीच की गई योजना एकरारनामा के अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कार्यादेश निर्गत की तिथि से 60 दिनों के अंदर संवेदक को योजना अवधि विस्तार हेतु कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, कोडरमा को आवेदन समर्पित करना चाहिए था, किन्तु संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्त्तों की अवहेलना करते हुए दिनांक– 01.04.2018 को कार्यपालक अभियंता को आवेदन समर्पित किया गया जो निर्धारित अवधि से 04 वर्ष 08 माह से अधिक का विलम्ब है। अतः विभाग द्वारा योजना अवधि विस्तार नहीं किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03 / म0स0 / विधान सभा–63 / 2023 – 661 राँची, दिनांक : 15.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–813 / वि0स0 दिनांक–01.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

405

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–26 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	**प्रश्नकर्ता**– श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0स0	**उत्तरदात्ता**–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी विधान सभा क्षेत्र के तहत् टुंडी प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में वर्ष 2016 में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा सिंचाई सुविधा एवं कृषकों का रोजगार में सृजन के उद्देश्य से बिरसा पक्का चेक डैम (BPCD) का निर्माण कराया जा रहा था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्ड के सभी बिरसा पक्का चेक डैम (BPCD) राशि के अभाव में कार्य अभी तक अधूरा है, जिसके कारण कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित रह जा रहे हैं ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित प्रखण्ड के वर्ष–2016 में स्वीकृत सभी अधूरे बिरसा पक्का चेक डैम (BPCD) का कार्य राशि उपलब्ध कराकर कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बिरसा पक्का चेक डैम (BPCD) का निर्माण केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि से किया जा रहा था। भारत सरकार के द्वारा उक्त योजना के तहत् राशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण टुंडी प्रखण्ड अन्तर्गत निर्मित बिरसा पक्का चेक डैम का कार्य अधूरा है। लगभग 07 वर्षों पुराने अर्द्धनिर्मित संरचनाएँ, जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उन्हें तकनीकी रूप से पूर्ण करने हेतु राशि व्यय किया जाना उचित नहीं होगा।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(ता0)–20/2023 656 /**कृ0, राँची, दिनांक**– 13/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–679 दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(ता0)–20/2023 656 /**कृ0, राँची, दिनांक**– 13/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23

सरकार के उप सचिव।

406

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-29 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड काठीकुण्ड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड काठीकुण्ड अंतर्गत बिछीयापहाड़ी पंचायत– बिछीयापहाड़ी में एकीकृत बिहार सरकार के कार्यकाल में झालको द्वारा उद्वह सिंचाई योजना के तहत् गुमरा नदी से सिंचाई के लिए संयंत्र लगाया गया था, जो अब तक जर्जर हो गया है ;	स्वीकारात्मक। लाभुकों द्वारा योजना का समुचित रख–रखाव नहीं किये जाने के कारण योजना जर्जर हो गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के संयंत्र का मरम्मति नहीं होने के कारण किसानों का सैंकड़ों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त जर्जर संयंत्र को बदलकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	वर्तमान स्थिति में सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी रूप से संभाव्यता पाये जाने पर एवं लाभुक समिति द्वारा योजना के रख–रखाव एवं संचालन संबंधी शपथ पत्र प्राप्त होने के पश्चात् बजटीय उपबंध के आलोक में योजना निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–29/2023 1469 / राँची, दिनांक– 14/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–671 दिनांक–27.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

407

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स०, द्वारा दिनांक– 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– क–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड में स्थित विश्व–विख्यात मैक्लुस्कीगंज ग्राम में बड़ा ईसाई कब्रिस्तान चहारदिवारी के अभाव में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इस कब्रिस्तान की चहारदिवारी नहीं रहने के कारण असमाजिक तत्वों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण का भय बना रहता है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि 5 वर्ष पूर्व ही इस कब्रिस्तान के चहारदिवारी निर्माण हेतु विभाग द्वारा दिशा–निर्देश दिया गया था, जो अभीतक धरातल पर नहीं आ सका ;	जिला द्वारा प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। प्राक्कलन प्रस्ताव प्राप्त होते ही स्वीकृति प्रदान कर निर्माण की कार्रवाई प्रारम्भ करवायी जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त कब्रिस्तान की चाहरदिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–05 / विधानसभा (तारांकित प्रश्न)–05 / 23– 604 राँची, दिनांकः– 15/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक– 955 / वि०स०, दिनांक–04.03.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Kumari 15/03/23

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\score\2022-23\satish sir\Vidhan Sabha\Question.doc

408

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न– कृष–31 का उत्तर प्रतिवेदन।

कं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में 200x200 का तालाबों के निर्माण कराने की योजना बनायी गयी है ;	अस्वीकारात्मक। 200x200 का तालाबों के निर्माण कराने की योजना इस विभाग से संबंधित नहीं है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत तालाब निर्माण से संबंधित योजनाओं की विवरणी संलग्न है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित योजना कृषकों एवं मत्स्य पालकों के आय बढ़ाने के लिए बनायी गयी है ;	उपर्युक्त खण्ड–1 में अंकित उत्तर सामग्री में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि कोलेबिरा (सिमडेगा) में खण्ड–1 में वर्णित योजना आज तक प्रारम्भ नहीं की गयी है ;	उपर्युक्त खण्ड–1 में अंकित उत्तर सामग्री में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोलेबिरा (सिमडेगा) में तालाब निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–1 में अंकित उत्तर सामग्री में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 22/2023 ...349.../ राँची, दिनांक 14.03.23

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–674 दिनांक–27.02.20213 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/23

(संजीव रंजन तिवारी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 22/2023 ...349.../ राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि– अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–299 दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/23

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 22/2023 ...349.../ राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि– निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/23

सरकार के अवर सचिव

409

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–कृष–34 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखंड के ग्राम कटिया में गोकुल ग्राम केन्द्र भवन का निर्माण कार्य गत 5 वर्ष पूर्व ही संपन्न कराया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद कई बार पत्राचार किये जाने के बाद भी अब तक संवेदक को पूरी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2011–12 में गोकुल ग्राम विकास केन्द्र का भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृत राशि रु० 9,17,600/– का भुगतान ग्राम कटिया में निर्मित गोकुल ग्राम केन्द्र भवन के निर्माण के उपरांत कर दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, कोडरमा के द्वारा ग्राम कटिया में गोकुल ग्राम केन्द्र भवन के लिए कुल रु० 11,72,170/– के पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर बिना सक्षम प्राधिकार से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये कार्य कराया गया है। फलस्वरूप प्रशासनिक स्वीकृत राशि से अधिकाई राशि मात्र रु० 1,42,547/– का भुगतान संवेदक को नहीं हुआ है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त भवन निर्माण कार्य कराये जाने के एवज में संवेदक को पूर्ण राशि का भुगतान अविलंब कराना चाहती है नहीं, तो क्यों ?	यह मामला बिना संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर कार्य कराने एवं उक्त के आलोक में अतिरिक्त राशि की मांग से संबंधित है। बिना संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के मात्र पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर निर्माण कराया जाना स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के निदेश के अनुरूप नहीं है। तथापि, कोडरमा जिला अन्तर्गत उक्त गोकुल ग्राम विकास केन्द्र के निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई निमित्त तथ्यों की समीक्षा प्रक्रियाधीन है। संदर्भित तथ्यों के स्वीकार योग्य पाये जाने पर संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त राशि संवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 19/2023 339 / राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–811 दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.2023

(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

411

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-38 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड के ग्राम–पंचायत पदमपुर के ग्राम–लेम्बुआ में लेम्बुआ आहर 25–30 एकड़ में फैला हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस आहर से लगभग 100 एकड़ जमीन पर खेतों की सिंचाई होती है, परन्तु आहर का गहरीकरण नहीं होने से आहर का अस्तित्व समाप्त हो रहा है एवं खेती करने में काफी असुविधा हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लेम्बुआ आहर का गहरीकरण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा द्वारा उक्त स्थल के भूमि प्रतिवेदन की मांग अंचलाधिकारी टंडवा से की गई है। भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विस्तृत सर्वेक्षणोंपरान्त बजटीय उपबंध के आलोक में आगामी वर्षों में योजना के गहरीकरण पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–39 / 2023 1467 / राँची, दिनांक– 14/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–890 दिनांक–02.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(412)

माननीय स0वि0स0, डा0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– ज–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी प्रखंड में लगभ 317.60 करोड़ रूपये की लागत से अमानत नदी पर बराज का कार्य वर्ष 1974 में प्रारंभ होकर आज तक पूर्ण नहीं होने से इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया है;	स्वीकारात्मक। 1. अमानत बराज योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1974 में रूपये 41.67 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। परन्तु अपरिहार्य कारणवश झारखंड गठन तक इस योजना पर कोई ठोस कार्य नहीं हो सका। 2. झारखंड राज्य गठन के उपरांत वर्ष 2003 में, योजना को पुनरीक्षित करते हुए रूपये 341.10 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके विरूद्ध मार्च 2022 तक कुल 317.78 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है। 3. योजनान्तर्गत बराज (असैनिक एवं यांत्रिक कार्य) का 95 प्रतिशत, मुख्य नहर का 40 प्रतिशत एवं वितरणी का 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जा चुका है। 4. उक्त योजना में पड़ने वाले 127.85 हे0 हेतु Stage-I वन भूमि अपयोजन की सशर्त्त स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है। इन शर्त्तों का अनुपालन तथा योजनान्तर्गत अवशेष भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सम्प्रति, निर्माण कार्य लगभग 12 वर्षों से बंद है एवं योजना अपूर्ण है।
2.	क्या यह बात सही है कि, अमानत बराज की सिंचाई क्षमता 26990 हेक्टेयर है, जिसका लम्बे समय से निर्माण अधूरा रहने के कारण इसकी मशीनरी जंग खा रही है तथा कई पार्ट्स अनुपयोगी होने के कगार पर पहुंच गए है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है, वनभूमि का हस्तांतरण कार्य लंबित होने के कारण मुख्य नहर का 60 फीसदी व वितरण का करीब 80 फीसदी कार्य शेष है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अमानत बराज का कार्य पूर्ण कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. योजना का अद्यतन अनुसूचित दर PL–2021 पर तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 2. योजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से बराज में जल संग्रहण के निमित्त इसके Left Afflux Guide Bund के अवशेष 185 मीटर के निर्माण हेतु इसके डूब क्षेत्र के पड़ने वाले ग्राम नुरू, चन्द्रपुर आदि ग्रामो का भू–अर्जन कार्य पूर्ण किया जाना अपेक्षित है जो भू–अर्जन के विभिन्न धाराओं यथा धारा–19 के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। 3. इस योजना हेतु 127.85 हे0 वन भूमि के अपयोजन का

		Stage-1 Clearance भारत सरकार से 21 शर्त्तों के साथ प्राप्त है जिसमें से 19 शर्त्तों का अनुपालन किया जा चुका है एवं शेष दो शर्त्तों के अनुपालन की कार्रवाई प्रगति में है। इन शर्त्तों का अनुपालन तथा योजनान्तर्गत अवशेष भू–अर्जन शीघ्र पूरा करा कर योजना को वर्ष 2025–26 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 1476 /राँची, दिनांक– 14/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 764, दिनांक– 01.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

414

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, पलामू जिला के पाँकी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत तरहसी प्रखण्ड के पंचायत–तरहसी, गुहार, सोनपुरा, नवगढ़ अमानत नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पक्का तटबंध नहीं होने के कारण कटाव जारी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि, तरहसी पंचायत में अवस्थित इंदिरा गाँधी बालिका उच्च विद्यालय, कृषि भवन, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटाव से नदी में समा जाने के कगार पर है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अमानत नदी के तटीय क्षेत्रों को कटाव से बचाने हेतु पक्का तटबंध निर्माण कराने की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	तरहसी प्रखण्ड के पंचायत–तरहसी, गुहार, सोनपुरा एवं नवगढ़ में अमानत नदी से हो रहे कटाव के सुरक्षामक कार्य का सर्वेक्षण कर प्राक्कलन तैयार कर क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के विचारार्थ समर्पित है। उक्त प्रस्ताव पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (T.A.C.) एवं योजना समीक्षा समिति (S.R.C.) के अनुमोदन के उपरान्त तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा। क्रमांक सं0 02 में वर्णित भवनों के सुरक्षा हेतु ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू के द्वारा गार्डवाल का निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–27/2023 – 1475 /राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक– 763 वि०स० दिनांक– 01.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(415)

श्री अमित कुमार मंडल मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-44 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला प्रखण्ड–गोड्डा में ग्राम–चपरी एवं मोतिया के राजठाँड व पेलगढ़ी साथ ही पथरगामा प्रखण्ड के ग्राम–वलिया में वीयर/चेकडैम का प्रस्ताव जिला मुख्यालय से मुख्य अभियंता, कार्यालय को प्रेषित किया गया है, लेकिन मुख्य अभियंता कार्यालय से अभियंता प्रमुख कार्यालय तक नहीं पहुँची है, जिस कारण अब तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजनाओं की स्वीकृति देना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	प्रश्नगत् योजनाओं का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दुमका के कार्यालय में समर्पित हैं जिनकी तकनीकी जाँच की जा रही है। प्राक्कलन विभाग में प्राप्त होने के उपरान्त बजटीय उपबंध के आलोक में योजना के निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–46/2023...1468... / राँची, दिनांक–...14/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–1078 दिनांक–09.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\...\Amit Kumar Mandal-Jo-44.docx

416

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के प्रखण्ड–राहे में कोकरो सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर के मरम्मति/सुदृढ़ीकरण फेज–2 योजना प्रस्तावित है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का डी०पी०आर० विभाग में उपलब्ध है।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार के पास पर्याप्त राशि भी उपलब्ध है।	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोकरो नहर फेज–2 योजना को प्रारम्भ करने की इच्छा रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कोकरो सिंचाई योजना अन्तर्गत बलुआडीह शाखा नहर के लाईनिंग कार्य सहित योजना के पुनरूद्धार कार्य के प्राक्कलन में कतिपय त्रुटियों का निराकरण कर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजना की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–43/2023 – 1472 /राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1080 वि०स० दिनांक 09.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

418

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-25 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड अंतर्गत मौजा–अंगरडीह जंगल से कायरगुटू, लुतु तालाब भाया बुरूमोचोंग, पोटाअः जोला केन्दुलोपो बॉगला चौक बालाबुरू गौ तालाब तक नया नहर निर्माण की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नहर के निर्माण से तांतनगर प्रखण्ड के ग्रामीणों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड अंतर्गत मौजा–अंगरडीह से बालाबुरू गौ तालाब तक नये नहर का निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी रूप से संभाव्य एवं उपयोगी पाए जाने पर बजटीय उपबंध के आलोक में नहर का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–25 / 2023 1507 / राँची, दिनांक– 15/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–765 दिनांक–01.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

H19

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–05 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बड़कागाँव, केरेडारी, पतरातु, टंडवा प्रखंडों में खनन हेतु भूमि अधिग्रहण से विस्थापित प्रभावित ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं विकास के मद्देनजर खनन कंपनी के साथ महिला बाल विकास की विभाग को जिम्मेदारी बनती है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। बच्चों के शाला पूर्व शिक्षा तथा महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी मामला महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड की विषयवस्तु है। बच्चों की अग्रेत्तर शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की विषयवस्तु है।
2.	क्या यह बात सही है कि खनन कंपनी प्रबंधन अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर रही है अथवा नहीं उसके मॉनिटरिंग हेतु किसी तरह का तंत्र कार्यरत नहीं है एवं इसका सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं किया गया है ;	खनन कंपनी प्रबंधन का मॉनिटरिंग का दायित्व महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खनन परियोजना प्रभावित उक्त क्षेत्रों के खनन कंपनियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं विकास को लेकर उठाए गये कदमों का सामाजिक अंकेक्षण कराने और उसके मॉनिटरिंग हेतु तंत्र बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मॉनिटरिंग का कार्य CSR Company द्वारा Ministry of Corporate Affairs, Government of India के द्वारा निर्गत CSR Rules के अन्तर्गत की जाती है। CSR के तहत जिला स्तर पर CSR समिति द्वारा समय–समय पर अनुश्रवण की जाती है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03 / म0स0 / विधान सभा–64 / 2023 – 671 राँची, दिनांक : 15.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–770 / वि0स0 दिनांक–01.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

420

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–कृष–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रोजगार सृजन तथा पशुधन विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के रूप में एक अति महत्वकांक्षी योजना चलाई जा रही है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पशु चिकित्सा व पशुधन धन संवर्द्धन के साथ–साथ उक्त महत्वकांक्षी योजना को सफलता पूर्वक धरातल पर लाने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत अति पिछड़ा प्रखण्ड गुड़ाबांधा में अब तक पशुधन विभाग के अन्तर्गत पद सृजित नहीं है;	स्वीकारात्मक। नव सृजित प्रखण्ड होने के कारण पशुपालन पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गुड़ाबांधा प्रखण्ड में पशुपालन विभाग के अपेक्षित पदों को सृजित कर पशुपालन पदाधिकारी व अन्य पदों पर बहाली या पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। पद सृजन की कार्रवाई विधिवत् की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – **1 स्था०/तारांकित प्रश्न/02/2023** 343 / राँची, दिनांक 14.03.23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 137 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

(राजकुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – **1 स्था०/तारांकित प्रश्न/02/2023** 343 / राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (विधायी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 244 दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव

421

श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष –30 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, माननीय सदस्य विधान सभा		श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में प्रायः सभी प्रखण्डों में पशु चिकित्सकों की भारी कमी है। जिला में नियुक्तियों के हिसाब से पशु चिकित्सकों की संख्या बहुत ही कम है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला अन्तर्गत 03 भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी एवं 04 प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी पशुचिकित्सा सेवा दे रहे है। इसके अतिरिक्त 01 जिला पशुपालन पदाधिकारी, 01 पशु शल्य चिकित्सक एवं 01 आदर्श ग्राम पदाधिकारी भी पशुचिकित्सा संबंधी सेवाएँ दे रहे है।
2.	क्या यह बात सही है कि पशु डॉक्टरों के कमी के साथ–साथ दवाओं की कमियों के कारण मुख्यालय द्वारा प्रत्येक प्रखण्डों में समय से दवाओं का वितरण नहीं किया जाना मुख्यालय तथा प्रखण्डों में उपयोगी आधुनिक उपक्रम की व्यवस्था नहीं होना ;	अस्वीकारात्मक। जिले की पशुजनित रोगों को दृष्टिपथ रखते हुए संबंधित दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पशुचिकित्सकों के द्वारा नियमित रूप से पशुओं की चिकित्सा एवं दवा का वितरण किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिला में पशु से संबंधित रोगों से लड़ने के लिये दवा की आपूर्ति ससमय करने, पशु चिकित्सकों की कमी को दूर कर तत्काल रूप से चिकित्सकों कि नियुक्ति करने, पशुपालन से किसानों को मदद पहुँचाने एवं इन कमियों को दूर करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। 124 पशुचिकित्सकों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। पशुचिकित्सकों की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक :– 1 स्था० तारांकित प्रश्न 03/2023 प०पा० प०पा०...326..... दिनांक ...04:03:23.....

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र संख्या–675/वि०स० दिनांक 27.02.2023 के प्रसंग में/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.3.23

(राजकुमार श्रीवास्तव)

सरकार के अवर सचिव

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०– कृष–33 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में सामान्य अनुपात से काफी कम (25 प्रतिशत) वर्षा हुआ है, जिससे खेती नहीं होने से पशुओं को चारा की वृहत् समस्या उत्पन्न हो गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिला अन्तर्गत फसल उत्पादन हेतु वर्तमान में पूर्व के अनुपातिक वर्षापात कम है, परन्तु इससे पशुओं के चारा उपलब्धता में कमी नहीं पायी गयी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पशुओं को चारा उपलब्ध कराने हेतु प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर सरकारी व्यवस्था के तहत सस्ते दर पर किसानों को पशु चारा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 के आलोक में आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 21/2023 340 / राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 812 दिनांक 01.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.2023
(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 21/2023 340 / राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 313 दिनांक 02.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.2023
सरकार के अवर सचिव

423

16.03.2023

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-02.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–08 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	प्रश्नकर्ता–श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0	उत्तरदात्ता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखण्ड में संपूर्ण रूप से सुखाड़ हो गया है;	अस्वीकारात्मक Drought Impact Indicators Parameters के अनुसार चंदवारा प्रखण्ड को सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा चंदवारा प्रखण्ड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक Drought Mannual 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित Drought Impact Indicators Parameters SPI, Crop Coverage, NDVI/VCI, RSI तथा GT के आधार पर राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें से कोडरमा जिले के 06 प्रखण्डों में से 05 प्रखण्ड यथा– कोडरमा, जयनगर, मरकच्चो, डोमचाँच तथा सतगावाँ प्रखण्ड को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है। Drought Impact Indicators Parameters के अनुसार चंदवारा प्रखण्ड को सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि चंदवारा प्रखण्ड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने के कारण आम जनता को सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों (जहां सुखाड़ घोषित किया गया है) के अलावा शेष सभी प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के द्वारा कृषकों को लाभ दिया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चंदवारा प्रखण्ड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–06/2023 536 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–271 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–06/2023 536 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबवाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

424

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–13 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रकचर विकास योजना शुरू कर उक्त योजनान्तर्गत राज्य के ई–नैम में निबंधित किसानों को साईकिल व ई–रिक्शा के साथ–साथ छोटे–छोटे कोल्ड स्टोरेज देने का निर्णय लिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में "कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन सह पोस्ट हार्वेस्ट आधारभूत संरचना का विकास" योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 23 दिनांक 22.07.2022 के द्वारा प्रदान की गई है। इस योजनान्तर्गत प्राथमिक प्रसंस्करण/विपणन के तहत आवश्यक व्यवस्था यथा – त्वरित परिवहन, भंडारण, Durable Vegetable crate, Crate mounted bicycle, vegetable cart-pre-fabricated E-Rickshaw, Pack House, Cold Rooms, Crate in Cold Room की स्थापना तथा कृषकों/कृषक समूहों को e-NAM से संबद्ध किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में Bicycle (10 each in 606 Rural Haat), Durable Veg Crate for Bicycle, Veg Cart- Paddle Tricycle, Durable Veg Crate for Tricycle, Veg Cart-E Rickshaw, Durable Veg Crate for E Rickshaw, Cold Room (APMC) Cold Room (Rural Haat) Crate in Cold Room (50 in each) हेतु 25.00 करोड़ रू0 स्वीकृत एवं आवंटित की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य इ–नैम में कुल–2.44 लाख किसान निबंधित है जिसमें हजारीबाग के कुल–28,759 किसान निबंधित है परन्तु अबतक यहाँ के किसानों को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। योजना का कार्यान्वयन प्रकियाधीन है। निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित योजना का लाभ हजारीबाग के किसानों को देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। योजना का कार्यान्वयन प्रकियाधीन है। निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(वि0स0–ता0)–02/2023 681 **/कृ0, राँची, दिनांक**–14/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–549 दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(वि0स0–ता0)–02/2023 681 **/कृ0, राँची, दिनांक**–14/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–9 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया प्रखण्ड में स्वर्णरेखा परियोजना के तहत निर्मित OR-46 नहर तथा गालुडीह बाँयी नहर निर्माण कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नहर निर्माण हेतु लगभग 71 रैयतों की मकान सहित भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसके एवज मे रैयतों को मुआवजा राशि भी उपलब्ध करा दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पूनर्वास योजना के तहत इन रैयतों के नाम विकास पुस्तिका निर्गत नहीं किया गया है, जिसके कारण खण्ड–2 में वर्णित गृह विहीन रैयतों को पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित रैयतों के नाम विकास पुस्तिका निर्गत करते हुए उन्हें पुनर्वास का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, राँची के पत्रांक–14 / मुक०–04–09 / 2017– 1444, राँची, दिनांक–14.03.2018 द्वारा नहर से प्रभावित विस्थापितों को विकास पुस्तिका एवं पुनर्वास अनुदान का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में संसूचित किया गया है कि योजना के नहरों के लिए अर्जित भूमि के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को विस्थापित नहीं माना जा सकता है क्योंकि– (i) पुनरीक्षित पुनर्वास नीति–2012 की कंडिका 3.1 की मूल भावना में जलाशय का डूब क्षेत्र के विस्थापित है न कि नहरों के लिए भू–अर्जन से प्रभावित। (ii) डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाले की रोजी–रोटी एवं जीविका छिन जाती है एवं उन्हें बिल्कुल नये क्षेत्र में जाना पड़ता है। इसलिए इन्हें

क्र०	प्रश्न	उत्तर
		विस्थापित का दर्जा प्राप्त है। नहरों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। नहरों से प्रभावित व्यक्ति उसी क्षेत्र में रहते हैं एवं अर्जित भूमि का मुआवजा उन्हें दिया जाता है। उनकी जीविका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि नहरों के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार ही होता है। (iii) नहरों के लिए अर्जित भूमि के आधार पर यदि इन्हें विस्थापित माना जाय तो सारे राज्य में ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है, जो वांछित एवं न्यायोचित नहीं है। अतएव नहरों के लिए अर्जित भूमि के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को विस्थापित माना जाना उचित नहीं होगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–07/2023 – 1471 /राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 140 वि०स० दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

426

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–कृष–25 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला पशुपालन विभाग का कार्यालय भवन जर्जर हो चुका है ;	स्वीकारात्मक। जिला पशुपालन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–294 दिनांक–11.06.2022 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को संदर्भित निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य का तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभाग में कर्मचारी से चपरासी तक दर्जनों पद रिक्त है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिलान्तर्गत पशुचिकित्सा पदाधिकारियों का कुल स्वीकृत पद 57 के विरूद्ध 23 कार्यरत है। कर्मचारी वर्ग–3 का स्वीकृत पद 89 के विरूद्ध 15 कार्यरत है तथा वर्ग–4 का स्वीकृत पद 88 के विरूद्ध 35 कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि संसाधन की कमी के कारण पशुओं के इलाज के लिए दवा आदि जर्जर भवनों में रखना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। भवन निर्माण विभाग से भवन निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्रदत्त तकनीकी प्राक्कलन हेतु अनुरोध किया गया है। भवन/गोदाम के निर्माण/जीर्णोद्धार होने तक पूरी सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ दवाओं को उपलब्ध संसाधन में रखा जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार करते हुए स्वीकृत रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भवन निर्माण विभाग से निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन भवन निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य की नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी। 124 पशुचिकित्सकों के नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। पशुचिकित्सकों की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 1 स्था०/तारांकित प्रश्न/05/2023 344 / राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 673 दिनांक 27.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

(राजकुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव

427

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–22 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	प्रश्नकर्ता– डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0	उत्तरदात्ता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत् अबतक बोकारो जिला में 80094 किसान आवेदन कर चुके हैं, किन्तु 22626 किसानों को योजना के तहत् राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष लाभुकों का अबतक भुगतान नहीं किया गया है। यही स्थिति पूरे राज्य की है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत् राज्य के 226 प्रखण्ड सुखाड़ घोषित किया गया है। सुखाड़ घोषित क्षेत्र से कुल 33,16,789 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 9.61 लाख किसानों को कुल मो0 536.56 करोड़ रू. अनुग्राहिक राशि का भुगतान हो चुका है। बोकारो जिला से कुल 81098 किसानों से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 28572 किसानों को मो0 10.00 करोड़ रू. अनुग्राहिक राशि का भुगतान किया जा चुका है, शेष आवेदनों का अनुग्राहिक राशि का अंतरण प्रक्रियाधीन है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार उक्त योजना कें तहत् लाभुकों के बकाया राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विषयांकित प्रश्न का उत्तर खण्ड–1 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–23/2023 633 /कृ0, राँची, दिनांक– 06/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–769 दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–23/2023 633 /कृ0, राँची, दिनांक– 06/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/23

सरकार के अवर सचिव।

428

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वा तारांकित प्रश्न संख्या कृष–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा प्रश्न	उत्तरदाता श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार कृषि मजदूरों, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड अन्तर्गत मेसर्स देवानन्द कुमार बरसोत द्वारा स्थानीय महाजनों एवं बैंकों तथा अन्य संस्थानों से ऋण लेकर मत्स्य पालन के साथ–साथ बीज एवं स्पॉन उत्पादन की सम्पूर्ण व्यवस्था की गई है;	अस्वीकारात्मक। ऐसी कोई सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि मेसर्स देवानन्द कुमार बरसोत के संचालक द्वारा क्षमता के अनुरूप स्पॉन सप्लाई की निविदा आवेदित नहीं किये जाने के फलस्वरूप होने वाली आर्थिक नुकसान होने की सम्भावना के कारण निविदा से अपना नाम वापस लेने का पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु साजिश के तहत् इन्हें काली सूची में डालते हुए जिला कोडरमा एवं हजारीबाग में जमा की गई और अग्रधन की जमा राशि को जब्त कर ली गई एवं वर्तमान में निविदा में शामिल होने से वंचित कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों मजदूर भुखमरी के कगार पर है और संचालक दिवालिया एवं नीलामी की स्थिति में है;	अस्वीकारात्मक। कोडरमा एवं हजारीबाग जिले में संबंधित जिला स्तरीय निविदा समिति के द्वारा आमंत्रित निविदा में चयनित होने एवं आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के उपरांत इनके द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले लिया गया है। इसके कारण निविदा में निर्धारित शर्त्तों के आलोक में निविदा समिति के द्वारा यथोचित कार्रवाई की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मजदूर हित में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मेसर्स देवानन्द कुमार बरसोत को काली सूची से हटाते हुए जब्त की गई अग्रधन को वापस करते हुए क्षमता के अनुरूप स्पॉन सप्लाई संबंधित समिति के माध्यम से कराने के विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	संबंधित निविदा के मामले में निर्णय लेने का अधिकार उक्त से संबंधित गठित जिला स्तरीय निविदा समिति को ही है। कोई निविदादाता अगर किसी प्रकार से असंतुष्ट है, तो उन्हें उक्त गठित समिति के समक्ष जाने की स्वतंत्रता है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 15/2023 350 / राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 264 दिनांक 28.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2023

(राजीव रंजन तिवारी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 15/2023 350 / राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (विधायी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक 267 दिनांक 24.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2023

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 15/2023 350 /

राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2023

सरकार के अवर सचिव

429

श्री अमित कुमार मंडल मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में गोड्डा जिला अंतर्गत योजनाओं के आवंटन में क्षेत्रीय संतुलन का पालन नहीं किया गया है, जिसका परिणाम है कि महागामा एवं पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के अनुपात में गोड्डा विधानसभा क्षेत्र को लघु सिंचाई विभाग द्वारा कम योजनाओं की स्वीकृति दी गई है;	अस्वीकारात्मक। जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई प्रभाग में कार्यान्वयन हेतु योजनाओं के चयन की प्रकिया मुख्य रूप से निम्नवत् है। 1. Feasible Site एवं लाभ लागत के आधार पर निर्माण की योजनाओं (यथा चेकडैम, उद्वह सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण) का चयन। 2. पाँच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के तालाब का जीर्णोद्धार का चयन, तालाब के बांध की स्थिति, जलाशय क्षेत्र में सिल्ट जमाव एवं निःसृत नहर प्रणाली एवं शीर्ष कार्य की स्थिति को देखते हुए किया जाता है। 3. आहर, बांध, मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार, से संबंधित योजना का चयन बांध की स्थिति, निःसृत नहर प्रणाली एवं योजनाओं के अन्य संरचनाओं की स्थिति के आलोक में किया जाता है । राज्य के विभिन्न जिलों के क्षेत्रफल एवं भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं होने के कारण चयनित योजनाओं की संख्या में भी स्वाभाविक रूप से एकरूपता नहीं हो सकती है। विभागीय स्तर पर योजनाओं के चयन में हमेशा राज्य स्तर पर संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि राज्य के सभी जिलों एवं प्रखण्डों में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण/जीर्णोद्धार कराकर ग्रामीणों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्रदान किया जा सके।
2.	क्या यह बात सही है कि अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा गोड्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुशंसाओं का प्राक्कलन, तकनीकी अनुमोदन के पश्चात् स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण गोड्डा विधानसभा क्षेत्र की कई योजनाएँ विभागीय स्तर पर अब तक लंबित है;	अस्वीकारात्मक। क्षेत्र से तकनीकी अनुशंसा के उपरान्त प्राप्त योजनाओं के प्राक्कलनों की विभागीय स्तर पर पुनः समीक्षा की जाती है। आहर/बांध/तालाब के पुनर्स्थापन की योजनाओं में भूमि के प्रकार का सत्यापन संबंधित अंचलाधिकारी से कराया जाता है। क्षेत्रीय अभियंता द्वारा भूमि की प्रकृति से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की जाती है। योजनाओं की स्वीकृति में विभागीय स्तर पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन न हो एवं पुनर्स्थापन के उपरान्त योजना से वह लाभ ग्रामीणों को मिल सके जिसके लिए पूर्व में उसका निर्माण हुआ है। प्राक्कलन में त्रुटि एवं विसंगति पाए जाने पर क्षेत्र से आवश्यक सुधारोपरान्त ही विभागीय स्तर पर स्वीकृति प्रस्तावित की जाती है। योजनाओं में किए गए तकनीकी प्रावधान की जाँच इसलिए भी आवश्यक है कि विषम परिस्थिति में योजना सुरक्षित रह सके। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में भी क्षेत्र से प्राप्त प्राक्कलन एवं जन प्रतिनिधि से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विगत वर्षों में एवं इस वित्तीय वर्ष में भी योजनाओं की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है एवं कुछ योजनाओं की स्वीकृति प्रकियाधीन है। कतिपय योजनाओं के प्राक्कलन को आवश्यक सुधार कर समर्पित करने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को विभाग द्वारा दिया गया है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार योजनाओं के चयन में क्षेत्रीय संतुलन का पालन नहीं करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। किसी भी जिले में चयनित योजनाओं की संख्या एवं इस आधार पर क्षेत्रीय संतुलन मुख्यतः जिले एवं प्रखण्ड के प्राकृतिक/भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, भूमि के प्रकार एवं नदी नालों की संख्या पर निर्भर करता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–11/2023...1474... / राँची, दिनांक–...14/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–258 दिनांक–23.02.2023 के क्रम में 5 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

430

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–27 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का प्रखंड निरसा अंतर्गत बेनागड़िया एवं प्रखंड केलियासोल में अबतक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं कराया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत निरसा चट्टी पैक्स में 05 एम0टी0 सोलर कोल्ड रूम का निर्माण किया गया है एवं, प्रखण्ड केलियासोल अन्तर्गत सिमुलदान पैक्स में 05 एम0टी0 सोलर कोल्ड रूम का निर्माण प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों प्रखण्डों के गांवों में आलू एवं अन्य सबिजयॉ प्रचुर मात्रा में किसानों द्वारा उत्पादन किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किये जा रहे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण वर्णित प्रखंडों में कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका–1 में उल्लेखित प्रखण्ड केलियासोल अन्तर्गत सिमुलदान पैक्स में 05 एम0टी0 सोलर कोल्ड रूम का निर्माण प्रक्रियाधीन है, जबकि प्रखण्ड निरसा अन्तर्गत बेनागड़िया में वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार के शीत गृह का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्य के सुदूर गाँव, जहाँ विद्युतीकरण का अभाव है तथा बिजली की अनियमितता रहती है वैसे गाँव के स्थानीय हाट/बाजार के आस–पास उपयुक्त स्थानों में जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार चयनित स्थल पर सौर उर्जा संचालित 05 एम0टी0 क्षमता के इको फ्रेन्डली मिनी कोल्ड रूम का अधिष्ठापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट सह0 (विधान सभा)–05/2023309**/राँची, दिनांक–**10·03·2023

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–678 वि0स0 दिनांक–27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयानन्द प्रसाद) 10/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

D:\S.Murmu\2022-23\Vidhan saba Question 2022-23.docx

431

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष०–24 का प्रश्नोतर।

क्र०	प्रश्न सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह, चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना, अडानी एंटरप्राईजेज द्वारा कृषि भूमि को औद्योगिक कार्य हेतु अधिग्रहित की गई है;	स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला अन्तर्गत एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह, चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में L.A. Act एवं CBA (A&D) Act 1957 के तहत् भूमि अधिग्रहित की गयी है। अडानी इन्टरप्राईजेज लि० को कोल ब्लॉक आवंटन के विरूद्ध भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त खनन परियोजनाओं में कृषि भूमि को बिना रूपांतरित किए कंपनियों द्वारा उनका अधिग्रहण कर औद्योगिक भूमि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे विस्थापितों को दी जानी वाली मुआवजे की राशि प्रभावित होती है और भू–रैयतों से औने–पौने दाम पर भूमि अधिग्रहण कर ली जाती है;	अस्वीकारात्मक। CBA (A&D) Act 1957 के तहत् भारत सरकार के द्वारा भूमि एनटीपीसी को हस्तांतरण के उपरांत परियोजना में अधिग्रहित भूमि पर खनन कार्य संपादित किया जा रहा है। विस्थापितों को प्रावधान अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषि भूमि पर औद्योगिक कार्य किए जाने के मामले पर कंपनी प्रबंधन के उपर कार्रवाई करते हुए कृषि भूमि को हस्तांतरण को लेकर कड़े नियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–40/2023 - 199 राँची, दिनांक–15.03.2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–767, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

सरकार के अवर सचिव।

432

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–क०–08 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य मे अनु०ज०जाति का पवित्र पूजा स्थल जाहेर थान, सरना, हड़गड़ी व मसना है। जहाँ पूर्वजों से आदिवासी समुदाय के लोग पूजा करते आ रहे हैं, जो अधिकांश जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जनजातीय संस्कृति व परंपराओं का संरक्षण के उद्देश्य से खण्ड–(1) में वर्णित सभी पूजा स्थलों को सरकार द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। जनजातीय संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के उद्देश्य से सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास कार्य कराया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के कई जिलों के ग्रामों में जहाँ पूर्वजों से अनु०जनजाति समुदाय के लोग पूजा करते आ रहे हैं, परन्तु ग्राम के खतियान पर खण्ड–(1) में वर्णित पूजा स्थलों का दर्ज नहीं होने अर्थात वन भूमि दर्ज होने पर घेराबंदी में बाधा उत्पन्न हो रही है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–3017, दिनांक–17.10.2022 में यह प्रावधान किया गया है कि:– यदि सरना/मसना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी खतियान में अनावाद झारखण्ड/बिहार सरकार दर्ज है एवं किस्म जंगल–झाड़ी दर्ज है तो इस भूमि को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् सामुदायिक वन पट्टा निर्गत कर/वन विभाग के सुसंगत प्रावधानों के तहत् खतियान में दर्ज सरना/मसना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी के समरूप संरक्षण एवं विकास हेतु भूमि का हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को किया जाएगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित पूजा स्थलों का चिन्हितीकरण कर, जहाँ पूर्वजों से अनु०जनजाति समुदाय के लोग पूजा करते आ रहे है को घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–08/सरना मसना–वि०स०प्र०–02/2023– 595 राँची, दिनांक– 14.03.2023

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–681, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/03/23
(प्रिसिल्ला मुर्मू)
सरकार के उप सचिव।

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र के चास प्रखण्ड अंतर्गत इजरी नदी और गरगा नदी के आस–पास के क्षेत्रों में भूगर्भ जल के स्तर में काफी कमी आई है और इस क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई हेतु पर्याप्त जल प्राप्त नहीं हो रहा है;	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, राँची द्वारा तैयार किया गया Dynamic Ground water Resource Assessment (2020) के Report अनुसार बोकारो जिला के चास प्रखण्ड में भू–गर्भ जल का निष्कर्षण 81.67% है जो केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार Semi-Critical श्रेणी में है। लघु सिंचाई, जल संसाधन विभाग द्वारा बोकारो जिला के चास प्रखण्ड में सिंचाई हेतु कुल 14 अदद बांध/मध्यम सिंचाई योजनाओं तथा 03 अदद जमींदारी बांधों का पुर्नस्थापन कार्य पूर्ण कर लगभग 827 हे० तथा विभिन्न नालों/नदियों में 8 अदद चेकडैम योजनाएँ पूर्ण कर कुल 414 हे० में ग्रामीणों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि जल संसाधन विभाग द्वारा भू–गर्भ जल से सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई जाती है ताकि भू–गर्भ जल आने वाले पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए संरक्षित रह सके । भविष्य में सिंचाई एवं पेय जल हेतु उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु भू–गर्भ जल को संरक्षित रखना आवश्यक है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में इजरी नदी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–चाकुलिया और गरगा नदी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–सतनपुर और बांधगोड़ा के आस–पास अवस्थित सभी पुलों में डेटम–वॉल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	वर्णित पुलों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है अतः तकनीकी दृष्टिकोण से पुलों के साथ छेड़–छाड़ करना उचित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–19/2023...1465 / राँची, दिनांक–...14/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–542 दिनांक–26.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Sri Biranchi Narayan-Jo-19.docx

435

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-32 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर में महत्वाकांक्षी योजना सुखनदिया जलाशय सिंचाई योजना के तहत डैम एवं नहर का निर्माण वर्ष 1980 में करोडों रूपये की लागत से छतरपुर, खाटीन, लोहराही, मदनपुर सहित दर्जनों गाँव के हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हेतु किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है डैम का सलुइस गेट दशकों से खराब पड़ा है, जिससे डेम का पानी निरूद्येश्य बह जाता है एवं किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	वर्ष 2017 में योजना के H/R Gate की मरम्मति के उपरान्त H/R ठीक ढ़ंग से कियाशील था। वर्ष 2019 के उपरान्त असामाजिक तत्वों द्वारा इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वर्तमान में डैम का जलस्तर कम होने के कारण नहर से पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जलाशय योजना के तहत डैम एवं बाँध का विशेष मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	योजना के बांध की स्थिति ठीक है। क्षतिग्रस्त H/R Gate एवं उसके कुएँ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–38/2023...1509... / राँची, दिनांक–15/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–808 दिनांक–01.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

436

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत पदमा प्रखण्ड में लोटिया जलाशय का निर्माण वर्ष 1982 में किया गया है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि लोटिया जलाशय से जुही अरार, बन्दरवेला, कण्डादाग, पदमा दोनईखुर्द, सरैया, तितिर, करमा, नावाडीहखुर्द, सूजी, तिलैयाडीह, परतन, सूर्यपूरा, बिहारी, चम्पाडीह, रोमी गाँव में सिंचाई होती है।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि निर्माण काल से ही लोटिया जलाशय का दूबारा गहरीकरण नहीं किया गया है।	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि लोटिया जलाशय के दोनों गेटों की स्थिति जर्जर है, जिसके कारण पानी बह जाता है एवं सिंचाई नहीं हो पाती है।	आंशिक स्वीकारात्मक। गेटों से आंशिक रिसाव होता है, तथापि योजना से सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जलाशय का गहरीकरण तथा दोनों गेटों का जिर्णोद्धार करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	लोटिया जलाशय योजना का ERM कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जलाशय का गहरीकरण, दोनों गेटों का जीर्णोद्धार, मुख्य नहरों का पक्कीकरण का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन तैयार हो जाने के उपरांत क्षेत्रीय संतुलन एवं निधि की उपलब्धता के आलोक में कार्य कराने हेतु निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–15/2023 – 1479./राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 262 वि०स० दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(437)

श्रीमती सबिता महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र अवस्थित चांडिल डैम से कई औद्योगिक संस्थानों को पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2003 में ईचागढ़ विधान सभी क्षेत्र के सुवर्णरेखा परियोजना से हुए विस्थापित युवक/युवतियों के नियोजन हेतु वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है परन्तु उनका नियोजन आजतक नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक। i. पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 की कंडिका–6 में प्रावधान है कि विस्थापित परिवार को निम्न विकल्पों के माध्यम से पुनर्वासित किया जायेगा (क) स्वरोजगार के लिए अनुदान। (ख) विभागान्तर्गत सृजित वर्ग 3 एवं 4 के पदो के विरूद्ध नियुक्ति में अधिमानता। उक्त पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 की कंडिका–9 में विस्थापित व्यक्ति को आयु सीमा में छूट एवं नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने का भी प्रावधान है। ii. विभागीय अधिसूचना सं०–843 दिनांक–12.02.2021 द्वारा "झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2020" गठित की गयी है, जिसमें झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में विस्थापितों को उनकी अर्जित की गयी भूमि की रकवा के आधार पर अंकों कि अधिमानता दिये जाने एवं नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने के साथ अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार 03 वर्ष की छूट दी गयी है। iii. विभागीय संकल्प संख्या–5284 दिनांक–12.10.2022 द्वारा उक्त पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 का अवधि विस्तार दिनांक–31 मार्च 2027 तक किया गया है। iv. विभागीय अधिसूचना सं०–843 दि०–12.02.2021 द्वारा गठित "झारखण्ड राज्य जल संसाधन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
		विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2020" का अवधि विस्तार का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वैसे संस्थान जो चांडिल डैम से पानी का उपयोग करते हैं, में विस्थापित शिक्षित बेरोजगार स्थानीय युवक/युवतियों को योग्यतानुसार नियोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जो संस्थान चांडिल डैम से पानी का उपयोग करते हैं, उनसे इस एवज में विभाग द्वारा अधिसूचित जल दर के अनुरूप उनके द्वारा निकासी किये गये जल की मात्रा के सापेक्ष शुल्क लिया जाता है। इन संस्थानों में विस्थापित शिक्षित बेरोजगार स्थानीय युवक/युवतियों को योग्यतानुसार नियोजित करने में विभाग की कोई भूमिका नहीं है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–16/2023 – 1473 /राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 544 वि०स० दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

438

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-31 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बेड़ो जिला अंतर्गत ग्राम–करांजी, थाना–बेड़ो, थाना संख्या–49 में लघु सिंचाई परियोजना के तहत् डैम का निर्माण ग्रामीण कृषि भूमि पर किया गया और 10 वर्ष के पश्चात् भी प्रभावित किसानों को मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया;	स्वीकारात्मक। योजना का निर्माण ग्रामीणों के अनुरोध एवं उनके आवश्यकताओं के आलोक में किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा की राशि का भुगतान यथाशीघ्र करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रभावित ग्रामीणों को भू–मुआवजा की राशि भुगतान करने हेतु भू–अर्जन कार्यालय से अधियाचना प्राप्त हो गया है। भू–अर्जन कार्यालय से योजना के भू–मुआवजा भुगतान हेतु अधियाचित राशि के साथ शेष कार्य की राशि को अद्यतन करते हुए नये अनुसूचित दर पर प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रकियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–31 / 2023 1466 / राँची, दिनांक– 14/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–669 दिनांक–27.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

439

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–07 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि तेजस्विनी योजना World Bank के सहयोग से झारखण्ड सरकार के महिला बाल विकास विभाग द्वारा 17 जिलों में संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजना में जिला प्रखण्ड एवं क्षेत्रीय स्तर पर 10 हजार कर्मीगण किशोरियों को आत्म निर्भर बनाने से लेकर तरह–तरह की सहायता से संबंधित कार्यक्रम चला रहे है ;	स्वीकारात्मक। तेजस्विनी परियोजनान्तर्गत जिला स्तर पर 68, प्रखण्ड स्तर पर 462 एवं क्षेत्रीय स्तर पर 9492 अर्थात् कुल 10022 कर्मी कार्यरत हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित कर्मियों को बकाया एरियर, TA-DA के साथ 4 माह से मानदेय भी नहीं मिला है ;	• प्रखण्ड एवं क्षेत्र स्तर के कर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान सामुदायिक सेवा प्रदाता (CSP) के माध्यम से किया जाता है। कुल 9,906 तेजस्विनी कर्मियों का बकाया मानदेय माह दिसम्बर तक का कुल मानदेय रु0 24,92,00,000/– (चौबीस करोड़ बान्नवे लाख रुपये) माह फरवरी में CSP को भेजा जा चुका है। • तेजस्विनी परियोजना अन्तर्गत संचालित 17 जिलों में यथा लोहरदगा, सरायकेला–खरसावां, पाकुड़, सिमडेगा, जामताड़ा, दुमका, खूंटी, लातेहार कुल 08 जिलों में जिला स्तर कर्मियों का बकाया एरियर माह फरवरी को रु0 5,50,000/– (पाँच लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया जा चुका है। शेष जिलों का मानदेय, एरियर, TA-DA की भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–1, 2 एवं 3 में अघृत विषय की गंभीरता के मद्येनजर कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–75/2023– 660 राँची, दिनांक : 15.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1009/वि0स0 दिनांक– 06.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

440

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–04 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मुताबिक राज्य में फोस्टर केयर और स्पॉन्सिरशिप के कार्यक्रम संचालित होते हैं ;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में सम्प्रति स्पॉन्सरशिप (प्रायोजन) कार्यक्रम के तहत कुल– 3921 बच्चे तथा फोस्टर केयर कार्यक्रम के तहत कुल–36 बच्चे लाभांवित हो रहे है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कार्यक्रम के तहत हर वर्ष जरुरतमंद बच्चों को इसके जरिए सहायता राशि और अन्य सुविधाएँ जिलावार नहीं दी जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। सभी जिलों के योग्य एवं जरुरमंद बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायता राशि दी जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कार्यक्रम का लाभ राज्य के सभी 24 जिलों में प्रावधानों के मुताबिक जिलावार नहीं दिया गया है तथा इसमें सम्मिलित पदाधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी जिलों में प्रावधानानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। उक्त योजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित पदाधिकारी की अनियमितता एवं अक्षमता से संबंधित कोई मामला सम्प्रति विभाग को अप्राप्त है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार जिलावार राशि एवं सुविधा दिलाते हुए इसमें सम्मिलित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तु–स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03 / म0स0 / विधान सभा–56 / 2023 – 663 राँची, दिनांक : 15.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–547 / वि0स0 दिनांक–26.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

(अरशद जमील)

सरकार के अवर सचिव।

441

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–35 का प्रश्नोत्तर।

क्र	**प्रश्नकर्ता**–श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0	**उत्तरदात्ता**–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में विगत वर्ष (काफी) कम बारिश होने के कारण धान एवं अन्य खरीफ फसल की खेती नहीं हो पाई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा चतरा जिला के 12 प्रखण्डों में से सिर्फ 7 प्रखण्डों को सुखाग्रस्त घोषित किया गया, जिसमें गिद्धोर एवं पत्थगड्डा प्रखण्ड को छोड दिया गया जिसके कारण उक्त प्रखण्ड के किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिल पायी है ;	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार के Drought Manual 2016 (संशोधित) में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–15.08.2022 तक विभिन्न Drought Impact Indiator के ऑकड़ों (SPI, RSI एवं फसल ऑच्छादन) तथा जिले से प्राप्त Ground Truthing (GT) प्रतिवेदन के अनुसार चतरा जिले के 12 प्रखण्डों में से 5 प्रखण्डों कानाचट्टी, सिमरीया, टंडवा, ईटखोरी एवं मयुरहंड को सुखाड़ग्रस्त प्रखंड घोषित किया गया है। उक्त ऑकड़ों एवं प्रतिवेदन के अनुसार चतरा जिला के गिद्धोर एवं पत्थलगड्डा प्रखण्ड सुखाड़ अन्तर्गत चिन्हित नहीं हैं। गिद्धोर एवं पत्थलगड्डा प्रखण्ड झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) से आच्छादित हैं। जिन जिलों/प्रखण्डों को सुखाड़ घोषित नहीं किया गया है वे सभी जिले/प्रखण्ड झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) से आच्छादित हैं तथा किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में इस योजना से क्षतिपूर्ति की राशि मिल पाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के ऊपर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छूटे हुए प्रखण्ड गिद्योर एवं पत्थलगड्डा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विषयांकित प्रश्न का उत्तर खण्ड–2 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–27/2023 680 /कृ0, राँची, दिनांक– 14/03/2023
प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–889 दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में ऊपर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/23
(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–27/2023 680 /कृ0, राँची, दिनांक– 14/03/2023
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/23
सरकार के अवर सचिव।

डॉ॰ सरफराज अहमद, मा॰स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज॰–45 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–09/स्था॰–01–209/89– 6589, दिनांक 22.07.1989 के द्वारा आरक्षित वर्ग के श्री जितेन्द्र कुमार जैसल एवं श्री दयानन्द राम की नियुक्ति कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर की गयी तथा विभागीय अधिसूचना सं॰– 2808 दिनांक 12.11.2007 के द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार जैसल को तथा अधिसूचना सं॰– 2525, दिनांक 17.06.2005 के द्वारा श्री दयानन्द राम को दिनांक 01.01.1998 से सहायक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति दी गयी ;	**स्वीकारात्मक**
2.	क्या यह बात सही है कि कैडर विभाजन के पश्चात् उपर्युक्त दोनों पदाधिकारी वर्ष 2004 से झारखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत हैं ;	**स्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 4601, दिनांक 22.11.2010 के द्वारा खण्ड–1 में वर्णित दोनों सहायक अभियंताओं की प्रोन्नति को अमान्य कर चालू प्रभार में कर दिया, परन्तु सामान्य वर्ग के सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति देकर कार्यपालक अभियंता बना दिया गया ;	**आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।** वर्ष 2000 में झारखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा झारखण्ड राज्य के परिक्षेत्र में कार्यरत कनीय अभियंताओं को वर्ष 2005 एवं 2007 में प्रोन्नति देना बिहार राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण उक्त दोनों अभियंता एवं अन्य 20 अभियंताओं की प्रोन्नति को अधि॰ सं॰–4601, दिनांक 22.11.2010 द्वारा अमान्य किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा समान्य वर्ग के किसी भी सहायक अभियंता को प्रोन्नति देकर कार्यपालक अभियंता नहीं बनाया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित आरक्षित वर्ग के सहायक अभियंताओं (चालू प्रभार में) को नियमित प्रोन्नति देकर कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त दोनों अभियंता वर्त्तमान में सहायक अभियंताओं (चालू प्रभार) के रुप में कार्यरत हैं। सर्वप्रथम इन्हें सहायक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान किया जाना है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सहायक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति के उपरान्त पद रिक्त रहने एवं अर्हत्ता पूरी करने पर तद्नुसार कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा।

अनु॰ :–पूरक सामग्री।

1. **अधिसूचना सं॰–4601 दिनांक 22.11.2010**

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–02/विधान सभा–11–02/2022 ....1485..... /राँची, दिनांक :–...14/03/23

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–1079 दिनांक 09.03.2023 के क्रम

D:\SONAL\SEC-7\Anurag Sir\Vidhan Sabha\Dr. Sarfaraj Ahmad-47-2023.doc

में सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव, विधान सभा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.2023

(उपेन्द्र कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव
14/03/23

443

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-24 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड के मौजा–दाड़िमा क्षेत्रान्तर्गत उन्डुदाअः बाँध का निर्माण लगभग 25–30 वर्ष पूर्व हुआ था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पत्रांक–135/जि०यो०, दिनांक–10.02.2023 द्वारा उक्त बाँध की मरम्मति एवं निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड के मौजा–दाड़िमा अंतर्गत उन्डुदाअः बाँध का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	सर्वेक्षणोंपरान्त बजटीय उपबंध के आलोक में योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–24/2023....1508 / राँची, दिनांक–15/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–766 दिनांक–01.03.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

५५५

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औधोगिक खनन एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा अंतर्गत ग्राम–उदयपुर पंचायत खुसरी में दरिया बाँध (सरकारी तालाब) है जिसका मौजा–उदयपुर मौजा, प्लॉट नं०–92, खाता नं०–1119, प्लॉट नं०–1310, 1311, कुल रकबा–44, 17 एकड़ है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तालाब के अंतर्गत अगल–बगल की आबादी लगभग–10 हजार है जहाँ लोग स्नान, पूजा–पाठ, मवेशियों को पानी पीने में, सिंचाई तथा अन्य काय्र के उपयोग में लाते हैं;	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तालाबों की जीर्णोद्धार अब तक नहीं कराया गया है तथा तालाब के जमीन की प्रकृति के संबंध में अंचलाधिकारी प्रखण्ड निरसा से मार्च, 2022 में जानकारी मांगी गई जो अभीतक अप्राप्त रहने के कारण अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं ली जा सकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंचलाधिकारी निरसा से प्रश्नगत् बांध का भूमि प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त दरिया बांध का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	तालाब के कमाण्ड एरिया में लगातार हो रहे गृह निर्माण एवं आगामी वर्षों में बसावट मे उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावना को देखते हुए सिंचाई हेतु बचे हुए अल्प क्षेत्रफल की सिंचाई योग्य भूमि के लिए वर्तमान में पर्याप्त जल उपलब्ध है। अल्प क्षेत्रफल की भूमि के लिए योजना का जीर्णोद्धार कराना तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्य नहीं पाया गया।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–28 / 2023 1470 / राँची, दिनांक– 14/03/23

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–672 दिनांक–27.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

445

श्री सुदिव्य कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–कृष–19 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	प्रश्नकर्ता–श्री सुदिव्य कुमार, मा0स0वि0स0	उत्तरदात्ता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से OFAJ (Organic Farming Authority of Jharkhand) का गठन किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि OFAJ द्वारा रांची सहित लोहरदगा, हजारीबाग में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जा रहा है, परन्तु गिरिडीह जिला को इससे वंचित रखा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में गिरिडीह जिला में कुल 2275 हे0 पर जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार गिरिडीह जिले के पीरटाँड़ प्रखण्ड सहित अन्य प्रखण्डों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आगामी वर्षों में पीरटाँड़ प्रखण्ड के अलावा अन्य प्रखण्डों में भी जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(ता0)–16 / 2023 615 /कृ0, राँची, दिनांक–04-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–552 दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(ता0)–16 / 2023 615 /कृ0, राँची, दिनांक–04-03-2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

446

श्री सुखराम उराँव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० ज०–41 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र के बंदगाँव प्रखण्ड में "नकटी जलाशय" अवस्थित है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जलाशय में डैम के उपर जाने हेतु सीढ़ी नहीं है, ग्रामीण जनता द्वारा श्रमदान कर सीढ़ी का निर्माण किया गया है, जो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक वन विभाग द्वारा ईको टुरिज्म अन्तर्गत सीढ़ी का निर्माण कराया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम में भ्रमण करने आने वाले शैलानियों के लिए शौचालय, बिजली, पीने का पानी तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का घोर आभाव है,	3.	आंशिक स्वीकारात्मक वन विभाग द्वारा ईको टुरिज्म अन्तर्गत शौचालय एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराया गया है। उक्त क्षेत्र में बिजली की सुविधा नहीं दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में पूर्व से पर्यटक स्थल घोषित "नकटी जलाशय" में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थल श्रेणी 'C' का पर्यटन स्थल अधिसूचित है। यहाँ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास/पर्यटकीय विकास हेतु विभागीय पत्रांक 550, दिनांक 14.03.2023 द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से प्रस्ताव व प्राक्कलन माँगा गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने एवं बजट उपलब्धता के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/47/2023...568.../राँची, दिनांक...15-03-2023...

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1006/वि०स०, दिनांक–06/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

श्री रामचन्द्र सिंह, मा॰स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज॰–42 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1800 एवं 1801 दिनांक–25.03.2022 द्वारा कनीय अभियंताओं को नियमित के स्थान पर चालू प्रभार में प्रोन्नति दी गयी है ;	**स्वीकारात्मक**
2.	क्या यह बात सही है कि पुनः सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग के पत्रांक–4660 दिनांक–05.09.2022 द्वारा तथा पत्रांक–821 दिनांक–13.02.2023 द्वारा कनीय अभियंताओं से प्रोन्नति हेतु इससे संबंधित आवश्यक कागजात मांगी गयी, जिसे जमा करने के पश्चात् भी इन्हें नियमित प्रोन्नति से वंचित रखा गया है।	**आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।** वस्तुस्थिति यह है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा अभिलेख मांगे जाने के बावजूद भी बहुत से विचारणीय कनीय अभियंताओं का वांछित अभिलेख अप्राप्त है। नियमित प्रोन्नति हेतु वांछित कार्रवाई यथा निगरानी स्वच्छता (आन्तरिक, बाह्य एवं मंत्रिमण्डल निगरानी), सम्पति विवरणी, चारित्री आदि प्राप्त कर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विचारण सूची तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कनीय अभियंताओं को भी नियमित प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागान्तर्गत कनीय अभियंताओं के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस निमित नियमित प्रोन्नति हेतु वांछित कार्रवाई यथा निगरानी स्वच्छता (आन्तरिक, बाह्य एवं मंत्रिमण्डल निगरानी), सम्पति विवरणी, चारित्री आदि प्राप्त कर विचारण सूची तैयार करने के उपरान्त यथाशीघ्र अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति के समक्ष विचार हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–02/विधान सभा–11–02/2022 ....1484........./राँची, दिनांक :–.14/03/23

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–1063 दिनांक–06.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव, विधान सभा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.2023

(उपेन्द्र कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव

14/03/23

D:\SONAL\SEC-3\Anurag Stri\Vidhan Sabha\Ramchandra Singh- 44-2023.doc

449

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुदिव्य कुमार
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जन वितरण प्रणाली के डिलाओं (डीलर) के FINANCIAL VIABILITY बढ़ाने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा COMMON SERVICE CENTER (CSC) प्रज्ञा केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है;	राज्य अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु विभाग एवं COMMON SERVICE CENTER (CSC) Special Purpose Vehicle (SPV) के बीच दिनांक 09.06.2022 को MoU पर हस्ताक्षर किये गये जिसके माध्यम से राज्य अन्तर्गत 95% से अधिक सदस्यवार आधार सिडिंग करने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को COMMON SERVICE CENTER (CSC) के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि अबतक 1214 दुकानों को प्रज्ञा केन्द्र की सुविधा दी जा सकी है, जिसमें गिरिडीह जिले के भागीधारी नगण्य है;	दिनांक 28.02.2023 तक 10,572 चिन्हित जन वितरण प्रणाली दुकानों में से 7,048 आवेदक में 6,832 दुकानों को COMMON SERVICE CENTER (CSC) के रूप में विकसित किया जा चुका है। गिरिडीह जिला में अबतक 305 जन वितरण प्रणाली दुकानों को COMMON SERVICE CENTER (CSC) के रूप में विकसित किया जा चुका है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गिरिडीह सदर प्रखण्ड एवं सुदुरवर्ती पीरटाँड प्रखण्ड के डीलर को प्राथमिकता सूची में रखते हुए उक्त सुविधा से लैस करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गिरिडीह जिला में COMMON SERVICE CENTER (CSC) के रूप में विकसित 305 जन वितरण प्रणाली दुकानों में से 36 गिरिडीह प्रखण्ड के एवं 24 पीरटाँड प्रखण्ड के हैं। सभी जिलों को विभागीय पत्रों के माध्यम से निदेशित किया गया है कि सदस्यवार आधार सिडिंग में वृद्धि करने की कार्रवाई की जाय, ताकि अधिक से अधिक जन वितरण प्रणाली दुकानों में 95% से अधिक सदस्यवार आधार सिडिंग पूर्ण हो सके तथा वे दुकान COMMON SERVICE CENTER (CSC) हेतु चिन्हित हो सके।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–17/2023 8425 /राँची, दिनांक 10/03/23
प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 541, दिनांक 26.02.2023 केक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

450

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बिनोद कुमार सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले में खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा तीन हजार से ज्यादा अवैध तरीके से राशन कार्ड बने है, जिसमें 350 से ज्यादा सामान्य श्रेणी को आदिम जनजाति का समूह दर्शाया गया है;	गिरिडीह जिला में कुल 2577 राशनकार्ड को गलत ढंग से PVTG श्रेणी में परिवर्तित करने का मामला संज्ञान में आने के पश्चात् विभागीय पत्रांक–3720, दिनांक 05.12.2022 के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह से स्पष्टीकरण पूछा गया है एवं उपायुक्त, गिरिडीह के माध्यम से स्पष्टीकरण की माँग की गई है।
(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अवैध राशन कार्ड के निर्माण में जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों की भूमिका संदिग्ध है;	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा चार कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यमुक्त कर दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा इस संबंध में साईबर थाना गिरिडीह में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की गंभीरता के आलोक में विभाग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय पत्रांक–99, दिनांक 06.01.2023 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह को दिया गया है। विभागीय पत्र के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा जाँच दल का गठन किया गया एवं जाँच दल के प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त, गिरिडीह के स्तर से आरोप पत्र गठन प्रक्रियाधीन है। पुनश्चः, जिला स्तरीय जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा दोषियों के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेशित किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–02/2023 888 /राँची, दिनांक 14/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 36, दिनांक 17.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2023
सरकार के अवर सचिव।